संख्या-02/2025/190/77-6-25-01(एफडीआई)/2024

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीसीडा।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक 24 जनवरी, 2025**

विषयः फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफ0डी0आई0), विदेशी पूंजी निवेश, फॉर्च्यून ग्लोबल-500 एवं फॉर्च्यून इण्डिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के अंतर्गत मेसर्स अशोक लीलैण्ड लि0 को आवंटित भूमि के सापेक्ष सब्सिडी की धनराशि रू. 106.51 करोड़ के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6645/यूपीसीडा/आई0ए0-भू, संख्या-1 सरोजनी नगर, एक्सटेंशन, दिनांक 05.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफ0डी0आई0), विदेशी पूंजी निवेश, फॉर्च्यून ग्लोबल-500 एवं फॉर्च्यून इण्डिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के अंतर्गत मेसर्स अशोक लीलैण्ड लि0 को आवंटित भूमि के सापेक्ष सब्सिडी की धनराशि रू.106.51 करोड़ के भुगतान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में नोडल एजेन्सी इन्वेस्ट यू0पी0 के पत्र संख्या-644/एसकेएस/आईयूपी/2024-25, दिनांक 05.08.2024 द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त 'फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफ0डी0आई0), विदेशी पूंजी निवेश, फॉर्च्यून ग्लोबल-500 एवं फॉर्च्यून इण्डिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023' के अंतर्गत मेसर्स अशोक लीलैण्ड को आवंटित प्लाट लागत रू.1,42,01,37,191.00(रूपये एक अरब बयालीस करोड़ एक लाख सैंतीस हजार एक सौ इक्यानवे मात्र) की 75 प्रतिशत धनराशि रू. 1,06,51,02,893.00 (रूपये एक अरब छ: करोड़ इक्यावन लाख दो हजार आठ सौ तिरानवे मात्र) की फ्रंट एंड भूमि सब्सिडी मेसर्स अशोक लीलैण्ड को अनुमन्य करते हुए उक्त धनराशि का भुगतान यूपीसीडा को किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त के क्रम में नोडल एजेन्सी के माध्यम से मांग का प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार

प्रमुख सचिव।

संख्या- 02 /2025/190(1)/77-6-25-01(एफडीआई)/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/गीडा।
7. प्रबंध निदेशक, पिकप।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामध्यान रावत

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।